




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 4]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 2, 1998/पौष 12, 1919

No. 4]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 2, 1998/PAUSA 12, 1919

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1998

सा.का.नि. 4 (अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अनुसरण में और भारत सरकार, जल भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 22-1-1996 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 46 (अ) का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मुम्बई पत्तन को न्यामी बोर्ड में निम्न तालिका के कालम (1) में उल्लिखित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने हेतु उक्त तालिका के कालम (2) में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करती है।

तालिका

प्रतिनिधित्व किए जाने वाले हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
(1)	(2)
पत्तन में नियोजित श्रमिक	2
सीमा शुल्क विभाग	1
रक्षा सेवाएं (नौसेना)	1
भारतीय रेल	1
महाराष्ट्र सरकार	1
जल भूतल परिवहन मंत्रालय	1
अन्य हित	4
जोड़	11

2. यह अधिसूचना अप्रैल, 1998 के प्रथम दिन लागू होगी।

[फा. सं. पी टी-18011/1/97-पी टी (i)]

कें. पी. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 1998

G.S.R. 4(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. 46(K) dated 22nd January, 1996, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be appointed by that Government to represent the interests mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Bombay.

T A B L E

(1)	(2)
Labour employed in the Port	2
Department of Customs	1
Defences Services (Navy)	1
Indian Railways	1
Government of Maharashtra	1
Ministry of Surface Transport	1
Other Interests	4
TOTAL :	11

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1998.

[F. No. PT-18011/1/97-PT (i)]

K. V. RAO, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1998

सा.का.मि. 5 (अ).— महापत्तम न्यास अधिनियम, 1963 § 1963 का 38 की धारा 3 को उपधारा 11 के खंड 1 ग के उपखंड 1 के उपबंधों के अनुसार में और भारत सरकार, जल मूल परवहन मंत्रालय § पत्तन फल की दिनांक 22. 1. 96

की अधिसूचना सं० सा. का. नि. 47(अ) का अधिष्ठापन करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा मुम्बई पत्तन के न्यासी बोर्ड में निम्न तालिका के कालम 2 और 3 में दिए गए प्रत्येक हित का क्रमशः प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक निकाय द्वारा निर्वाचित किए जाने हेतु उक्त तालिका के कालम 4 में उल्लिखित व्यक्तियों की सं० निर्दिष्ट करती है।

2. यदि उक्त तालिका की क्रम सं० 1 तथा 2 के सामने उल्लिखित निकाय सरकार के स्वाभिव्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन है तो ऐसे निकाय द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

तालिका

क्रम सं० 1	निकायों के नाम 2	हित 3	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 4
1.	भारतीय तेल निगम (आईओसी)	अन्य हित	1
2.	भारतीय नौवहन निगम (एस सी आई)	जहाज मालिक	1
3.	अधिल भारतीय शिपर्स काँग्रेस	शिपर्स	1
4.	भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक एसोसिएशन (आई एन एस ए)	जहाज मालिक	1
5.	महाराष्ट्र वाणिज्य तथा उद्योग केम्बर	शिपर्स	1
6.	भारतीय मरचेट केम्बर	शिपर्स	1
7.	कस्टम हाउस एजेंट्स एसोसिएशन,	अन्य हित	1
8.	मुम्बई स्टीवीडोर्स एसोसिएशन लि०, मुम्बई	अन्य हित	1
जोड़			8

3. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 के उपखंड 4 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 2 फरवरी, 1998 को समाप्त होने वाली अवधि की उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर न्यायियों का चुनाव किया जाएगा।

4. यह अधिसूचना अप्रैल, 1998 के प्रथम दिन लागू होगी।

[फा. सं. पी टी-18011/1/97-पी टी (ii)]

के. बी. राव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 1998

G.S.R. 5(E).—In pursuance of the provisions of sub-clause(ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 47(E) dated 22.1.1996, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (4) of the Table below to be elected by each of the bodies to represent each of the interests shown respectively in column (2) and (3) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Bombay.

2. Provided that in the case of body mentioned against serial number 1 and 2 of the said Table being owned or controlled by the Government, the persons to be elected by such body shall be appointed by the Central Government.

T A B L E

S.No.	Name of bodies	Interest	Number of persons to be appointed.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indian Oil Corporation Ltd. (IOC)	Other Interests	1
2.	Shipping Corporation of India Ltd. (SCI)	Shipowners	1
3.	All India Shippers Council	Shippers	1
4.	Indian National Shipowners Association (INSA)	Shipowners	1
5.	Maharashtra Chamber of Commerce and Industry.	Shippers	1
6.	Indian Merchants' Chamber	Shippers	1
7.	Customs House Agents Association, Bombay	Other Interests	1
8.	The Bombay Stevedores' Association Ltd., Bombay.	Other Interests	1
TOTAL:			8

3. In pursuance of the sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 2nd February, 1998 as the period within which the election of Trustees shall be held.

4. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1998.

[F. No. PT-18011/1/97-PT (ii)]

K. V. RAO, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1998

सा.का.नि. 6 (अ).— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 § 1963 का 30§ की धारा 3 की उपधारा § 1§ के खंड § ग§ के उपखंड § 1§ के अनुसरण में और भारत सरकार, जल भूतल परिवहन मंत्रालय § पत्तन पक्ष§ की दिनांक 22. 1. 1996 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 48§अ§ का अधिकरण करते हुए, केन्द्र सरकार सतव्दारा कलकत्ता पत्तन के न्यासी बोर्ड में निम्न तालिका के कालम § 1§ में उल्लिखित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने हेतु उक्त तालिका की कालम § 2§ में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करती है।

तालिका

प्रतिनिधित्व किए जाने वाले हित § 1§	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या § 2§
पत्तन में नियुक्त क्रमिक	2
सीमा शुल्क विभाग	1
रक्षा वेवार्स § नौसेना§	1
भारतीय रेल	1
पश्चिम बंगाल सरकार	1
जल भूतल परिवहन मंत्रालय	1
अन्य हित	3
जोड़	10

2. यह अधिसूचना अप्रैल, 1998 के प्रथम दिन लागू होगी।

[फा. सं. पी टी-18011/2/97-पी टी (i)]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 1998

G.S.R. 6(E).— In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No.48(E) dated 22nd January, 1996, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be appointed by that Government to represent the interests mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Calcutta.

T A B L E

Interests to be represented	Number of persons to be appointed.
(1)	(2)
Labour employed in the Port	2
Department of Customs	1
Defences Services (Navy)	1
Indian Railways	1
Government of West Bangal	1
Ministry of Surface Transport	1
Other Interests	3
TOTAL :	10

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1998.

[F. No. PT-18011/2/97-PT (i)]

K. V. RAO, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1998

सा.का.नि. 7(अ).— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 § 1963 का 38 § की धारा 3 की उपधारा § 1 § के खंड § म § के उपखंड § i § के उपबन्धों के अनुसरण में और भारत सरकार जल भूतल परिवहन मंत्रालय § पत्तन पक्ष § की दिनांक 22 जनवरी, 96 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 49 § अ § का अतिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा कलकत्ता पत्तन के न्यासी बोर्ड में निम्न तालिका के कालम § 2 § और § 3 § में क्रमशः

दर्शाए गए प्रत्येक हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक निकाय द्वारा निर्वाचित किए जाने हेतु उक्त तालिका के कालम § 4 में उल्लिखित व्यक्तियों की सं० विनिर्दिष्ट करती है ।

2. यदि उक्त तालिका की क्रम संख्या 1, 2 और 9 के सामने दर्शाया गया निकाय सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन हों तो ऐसे निकाय द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

तालिका

क्रम सं०	निकायों के नाम	हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
§ 1	§ 2	§ 3	§ 4
1.	भारतीय नौवहन निगम लि०, § एससीआई§	जहाज मालिक	1
2.	भारतीय तेल निगम लि०, § आई ओ सी§	अन्य हित	1
3.	अभिल भारतीय शिपर्स कौंसिल	शिपर्स	1
4.	एक्सोसिएशन ऑफ शिपिंग इंस्ट्रुमेंट, कलकत्ता	जहाज मालिक	1
5.	बंगाल वाणिज्य तथा उद्योग चैम्बर	शिपर्स	1
6.	बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्य तथा उद्योग चैम्बर	शिपर्स	1
7.	भारतीय वाणिज्य चैम्बर, कलकत्ता	शिपर्स	1
8.	भारत वाणिज्य चैम्बर, कलकत्ता	शिपर्स	1
9.	केन्द्रीय अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन निगम लि०, § सीआईडब्ल्यूटीसी§	अन्य हित	1

जोड़ 9

3. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा § 4 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 2. 2. 1998 को समाप्त होने वाली अविधि को उस अविधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर न्यासियों का चुनाव किया जाएगा ।

4. यह अधिसूचना अप्रैल, 1998 के प्रथम दिन लागू होगी ।

[फा. सं. पी टी-18011/2/97-पी टी (ii)]

के. पी. राव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 1998

G.S.R. 7(E).— pursuance of the provisions of sub-clause(ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 49(E) dated 22.1.1996, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (4) of the Table below to be elected by each of the bodies to represent each of the interests shown respectively in column (2) and (3) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Calcutta.

2. Provided that in the case of body mentioned against serial number 1,2 and 9 of the said Table being owned or controlled by the Government, the persons to be elected by such body shall be appointed by the Central Government.

T A B L E

S.No.	Name of bodies	Interest	Number of persons to be appointed.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shipping Corporation of India Ltd.(SCI)	Shipowners	1
2.	Indian Oil Corporation Ltd.(IOC)	Other Interests	1
3.	All India Shippers Council	Shippers	1
4.	Association of Shipping Interests, Calcutta	Shipowners	1
5.	Bengal Chamber of Commerce and Industry.	Shippers	1
6.	Bengal National Chamber of Commerce and Industry	Shippers	1
7.	Indian Chamber of Commerce, Calcutta.	Shippers	1
8.	Bharat Chamber of Commerce, Calcutta	Shippers	1
9.	Central Inland Water Transport Corporation Limited (CIWTC) .	Other Interests	1
Total:			9

3. In pursuance of the sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 2nd February, 1998 as the period within which the election of Trustees shall be held.

4. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1998.

[F. No. PT-18011/2/97-PT (ii)]

K. V. RAO t. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1998

सा.का.नि. 8(अ).— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 § 1963 का 38§ की धारा 3 की उपधारा § 1§ के खंड § 1§ के उपखंड § 1§ के अनुसरण में और भारत सरकार, जल भूतल परिवहन मंत्रालय § पत्तन पक्ष§ की दिनांक 22. 1. 1996 की अधिसूचना सं० 50§अ§ का अधिकृत करते हुए केंद्र सरकार सतद्वारा कोचीन पत्तन के न्यासी बोर्ड में निम्न तालिका के कालम § 1§ में उल्लिखित दिनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने हेतु उक्त तालिका के कालम § 2§ में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या को विनिर्दिष्ट करती है।

तालिका

प्रतिनिधित्व किए जाने वाले दिवस

नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या

§ 1§

§ 2§

पत्तन/नियुक्त श्रमिक
सीमा शुल्क विभाग
केरल सरकार
रक्षा सेवार्स § नौसेना§
भारतीय रेल
जल भूतल परिवहन मंत्रालय
समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण
§ एम पी ई डी ए§
अन्य दिवस

2

1

1

1

1

1

1

1

4

जोड़

12

2. यह अधिसूचना अप्रैल, 1998 के प्रथम दिन लागू होगी।

[फा. सं. पी टी-18011/3/97-पी टी (i)]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

18011/3/97-पी टी (i)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 1998

G.S.R. 8(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No.50(E) dated 22nd January, 1996, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be appointed by that Government to represent the interests mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Cochin.

T A B L E

Interests to be represented	Number of persons to be appointed.
(1)	(2)
Labour employed in the Port	2
Department of Customs	1
Defences Services (Navy)	1
Indian Railways	1
Government of Kerala	1
Ministry of Surface Transport	1
Marine Products Export Development Authority (MPEDA)	1
Other Interests	4
TOTAL :	12

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1998.

[F. No. PT-18011/3/97-PT (i)]

K. V. RAO, Jt. Sec'y.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1998

सा.का.नि. ९(अ).— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 § 1963 का 38 § की धारा 3 की उपधारा § 1 § के खंड § न § के उपखंड § i § के उपबन्धों के अनुसार में और भारत सरकार जल भूतल परिवहन मंत्रालय § पत्तन पक्ष § की दिनांक 22. 1. 1996 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 51 § अ § का अधिकरण करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा

कोचीन पत्तन के न्यासी बोर्ड में निम्न तालिका के कालम § 2§ और § 3§ में क्रमशः दर्शाए गए प्रत्येक हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक निकाय द्वारा निर्वाचित किए जाने हेतु उक्त तालिका के कालम § 4§ में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करती है ।

2. यदि उक्त तालिका की क्रम संख्या 5 के सामने दर्शाया गया निकाय सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन हो तो ऐसे निकाय द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

तालिका

क्रम सं०	निकायों के नाम	हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
§ 1§	§ 2§	§ 3§	§ 4§
1.	भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक एसोसिएशन § आई एन एस ए§	जहाज मालिक	1
2.	कोचीन वाणिज्य तथा उद्योग कैम्बर	शिपर्स	1
3.	भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग कैम्बर	शिपर्स	1
4.	साउथ वेस्टर्न इंडिया शिपर्स एसोसिएशन	शिपर्स	1
5.	कोचीन रिफायनरीज लि०	अन्य हित	1
जोड़			5

3. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा § 4§ के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 2 फरवरी, 1998 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर न्यासियों का चुनाव किया जाएगा ।

4. यह अधिसूचना अप्रैल, 98 के प्रथम दिन लागू होगी ।

[फा. सं. पी टी-18011/3/97-पी टी (ii)]

के. पी. राव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 1998

G.S.R. 9(E).—In pursuance of the provisions of sub-clause(ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 51(E) dated 22.1.1996, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (4) of the Table below to be elected by each of the bodies to represent each of the interests shown respectively in column (2) and (3) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Cochin.

2. Provided that in the case of body mentioned against serial number 5 of the said Table being owned or controlled by the Government, the persons to be elected by such body shall be appointed by the Central Government.

T A B L E

S.No.	Name of bodies	Interest	Number of persons to be appointed.
1.	Indian National Shipowners Association (INSA)	shipowners	1
2.	Cochin Chamber of Commerce and Industry.	Shippers	1
3.	Indian Chamber of Commerce and Industry.	Shippers	1
4.	South Western India Shippers Association	Shippers	1
5.	Cochin Refineries Limited	Other Interests	1

3. In pursuance of the sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 2nd February, 1998 as the period within which the election of Trustees shall be held.

4. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1998.

[F. No. PT-18011/3/97-PT (ii)]
K. V. RAO, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1998

सा.का.नि. 10(अ).— केन्द्र सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 § 1963 का 38§ की धारा 3 की उपधारा § 1§ के रूढ़ § म§ के उपरूढ़ § 1§ के अनुसरण में तथा भारत सरकार, जल मूल परिवहन मंत्रालय § पत्तन पक्ष§ की दिनांक 22 जनवरी, 1996 की अधिसूचना सं० सा.का.नि. 52§अ§ का अधिकरण करते हुए एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कालम§ 2§ में उल्लिखित उन व्यक्तियों की सं० निर्दिष्ट करती है जिन्हें मद्रास पत्तन के न्यासी मंडल में उक्त तालिका के कालम § 1§ में उल्लिखित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है :-

तालिका

प्रतिनिधित्व किए जाने वाले हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
§ 1§	§ 2§
पत्तन में नियुक्त श्रमिक	2
सीमा शुल्क विभाग	1
भारतीय रेल	1
रक्षा सेवारं § नीसेना§	1
तमिलनाडु सरकार	1
जल मूल परिवहन मंत्रालय	1
अन्य हित	3
	<hr/>
	योग
	10

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1998 से लागू होगी ।

[फा. सं. पी टी-18011/4/97-पी टी (i)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 1998

G.S.R. 10(E).— In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No.52(E) dated 22nd January, 1996, the Central Government hereby specifies the number of persons

mentioned in column (2) of the Table below to be appointed by that Government to represent the interests mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Madras.

T A B L E

Interests to be represented	Number of persons to be appointed.
(1)	(2)
Labour employed in the Port	2
Department of Customs	1
Defences Services (Navy)	1
Indian Railways	1
Government of Tamilnadu	1
Ministry of Surface Transport	1
Other Interests	3
TOTAL :	10

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1998.

[F. No. PT-18011/4/97-PT (i)]
K. V. RAO, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1998

सा.का.नि. 11 (अ).— केन्द्र सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 § 1963 का 38§ की धारा 3 की उपधारा § 1§ के बंड § म§ के उपबंड § 1§ के प्रावधान के अनुसरण में तथा भारत सरकार जल भूतल परिवहन मंत्रालय § पत्तन पक्ष§ की दिनांक 22 जनवरी, 1996 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 53§अ§ का अधिकृत करने हुए सतव्दारा नीचे दी गई तालिका के कालम § 4§ में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या जो उक्त तालिका के कालम § 2§ और § 3§ में पञ्चास नए हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक निकाय द्वारा मद्रास पत्तन के न्यासी मंडल में चुने जायेंगे, निर्दिष्ट करती है ।

2. बज्जें कि उक्त तालिका के क्रम सं० 1, 7, 8 और 9 के सामने उल्लिखित निकाय पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण होने के मामले में, ऐसे निकाय द्वारा चुने गए व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे ।

तालिका

क्रम सं०	निकायों के नाम	हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
§ 1§	§ 2§	§ 3§	§ 4§
1.	भारतीय नौवहन निगम लि०, § एससीआई§	पोत मालिक	1
2.	भारतीय राष्ट्रीय पोत मालिक संघ §आई एन एस ए§	पोत मालिक	1
3.	अखिल भारतीय नौ भार परेषक परिषद्	नौ भार परेषक	1
4.	हिन्दुस्तान कैम्बर ऑफ कामर्स, मद्रास	नौ भार परेषक	1
5.	द मद्रास कैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, मद्रास	नौ भार परेषक	1
6.	सदर्न इंडिया कैम्बर ऑफ कामर्स, एंड इंडस्ट्री, मद्रास	नौ भार परेषक	1
7.	मद्रास रिफाइनरीज लि०, मद्रास	अन्य हित	1
8.	अन्निम एवें धातु व्यापार निगम लि०, एम एम टी सी§	अन्य हित	1
9.	तमिलनाडु विद्युत बोर्ड §टी एन ई बी§	अन्य हित	1
योग			9

3. केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा § 4§ के अनुसरण में एतद्वारा 2 फरवरी, 1998 को समाप्त अवधि को उस अवधि के रूप में निर्दिष्ट करती है जिसके दौरान न्यायियों के चुनाव कर लिए जाएंगे।

4. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1998 से लागू होगी।

[फा. सं. पी टी-18011/4/97-पी टी (ii)]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 1998

G.S.R. 11(E).— In pursuance of the provisions of sub-clause(ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 53(E) dated 22.1.1996, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (4) of the Table below to be elected by each of the bodies to represent each of the interests shown respectively in column (2) and (3) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Madras.

2. Provided that in the case of body mentioned against serial number 1,7,8 and 9 of the said Table being owned or controlled by the Government, the persons to be elected by such body shall be appointed by the Central Government.

T A B L E

S.No.	Name of bodies	Interest	Number of persons to be appointed.
1.	Shipping Corporation of India Ltd.(SCI)	Shipowners	1
2.	Indian National Shipowners Association (INSA)	Shipowners	1
3.	All India Shippers Council	Shippers	1
4.	Hindustan Chamber of Commerce, Madras.	Shippers	1
5.	The Madras Chamber of Commerce and Industry, Madras.	Shippers	1
6.	Southern India Chamber of Commerce and Industry, Madras.	Shippers	1
7.	Madras Refineries Limited, Madras	Other Interests	1
8.	Minerals and Metal Trading Corporation Limited (MMTC)	Other Interests	1
9.	Tamil Nadu Electricity Board(TNEB)	Other Interests	1
Total:			9

3. In pursuance of the sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 2nd February, 1998 as the period within which the election of Trustees shall be held.

4. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1998.

[F. No. PT-18011/4/97-PT (ii)]

K. V. RAO, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1998

सा.का.नि. 12(अ).— केन्द्र सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 §1963 का 38§ की धारा 3 की उपधारा §1§ के खंड §ग§ के उपखंड §1§ के अनुसरण में तथा भारत सरकार जल-भूतल परिवहन मंत्रालय §पत्तन पक्ष§ की दिनांक 22 जनवरी, 1996 की अधिसूचना सं० सा.का.नि. 54 §अ. § का अधिक्रमण करते हुए स्तद्धारा नीचे दी गई तालिका के कालम §2§ में उल्लिखित उन व्यक्तियों की सं० निर्दिष्ट करती है जिन्हें मुरगांव पत्तन के न्यासी मंडल में उक्त तालिका के कालम§1§ में उल्लिखित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है :-

तालिका

प्रतिनिधित्व किये जाने वाले हित

नियुक्त किये जाने वाले

व्यक्तियों की संख्या

पत्तन में नियुक्त श्रमिक

2

सीमा शुल्क विभाग

1

रक्षा सेवारं §नौसेना§

1

भारतीय रेल

1

गोवा सरकार

1

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

1

अन्य हित

4

योग : 11

2. यह अधिसूचना, 1 अप्रैल, 1998 से लागू होगी ।

[फा. सं. पी टी-18011/5/97-पी टी (i)]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 1998

G.S.R. 12(E).— In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. 54(E) dated 22nd January, 1996, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be appointed by that Government to represent the interests mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Mormugao.

T A B L E

Interests to be represented	Number of persons to be appointed.
(1)	(2)
Labour employed in the Port	2
Department of Customs	1
Defences Services (Navy)	1
Indian Railways	1
Government of Goa	1
Ministry of Surface Transport	1
Other Interests	4
TOTAL :	11

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1998.

[F. No. PT-18011/5/97-PT (i)]

K. V. RAO, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1998.

सा.का.नि. 13 (अ).— केन्द्र सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 § 1963 का 38 § की धारा 3 की उपधारा § 1 § के खंड § ग § के उपखंड § ii § के प्रावधान के अनुसरण में तथा भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय § पत्तन पक्ष § की दिनांक 22 जनवरी, 1996 की अधिसूचना सं० सा. का. नि. 55 § अ. § का अधिक्रमण करते हुए स्तवद्वारा नीचे दी गई तालिका के कालम § 4 § में उल्लिखित

व्यक्तियों की संख्या जो उक्त तालिका के क्रमशः कालम §2§ और §3§ में दर्शाए गए हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक निकाय द्वारा मुरगांव पत्तन न्यास के न्यासी मंडल में चुने जाएंगे, निर्दिष्ट करती है।

2. बर्तते कि उक्त तालिका के क्रम संख्या 5 और 6^{के} सामने उल्लिखित निकाय पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण होने के मामले में, ऐसे निकाय द्वारा चुने गये व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किये जाएंगे।

तालिका

क्रम सं०	निकाय का नाम	हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1.	2.	3.	4.
1.	भारतीय राष्ट्रीय पोत मालिक संघ §आई एन ए एस§	पोत मालिक	1
2.	गोवा खनिज अयस्क निर्यातक संघ	नौभार वरेष्क	1
3.	गोवा चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री	नौभार परेषक	1
4.	मुरगांव शिप्स एजेंट्स एसोसिएशन	अन्य हित	1
5.	खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि० §एम एम टी सी§	अन्य हित	1
6.	भारतीय तेल निगम लि० §आई ओ सी§	अन्य हित	1
योग :			6

3. केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा §4§ के अनुसरण में स्तवद्वारा 2 फरवरी, 1998 को समाप्त अवधि को उस अवधि के रूप में निर्दिष्ट करती है जिसके दौरान न्यासियों के चुनाव कर लिये जाएंगे।

4. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1998 से लागू होगी।

[फा. सं. पी टी-18011/5/97-पी टी (II)]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 1998

G.S.R. 13(E).—In pursuance of the provisions of sub-clause(ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 55(E) dated 22.1.1996, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (4) of the Table below to be elected by each of the bodies to represent each of the interests shown respectively in column (2) and (3) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Mormugao.

2. Provided that in the case of body mentioned against serial number 5 and 6 of the said Table being owned or controlled by the Government, the persons to be elected by such body shall be appointed by the Central Government.

T A B L E

S.No.	Name of bodies	Interest	Number of persons to be appointed.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indian National Shipowners Association. (INSA)	Shipowners	1
2.	Goa Minerals Ore Exporters Association.	Shippers	1
3.	Goa Chamber of Commerce and Industry.	Shippers	1
4.	Mormugao Ships' Agents Association.	Other Interests	1
5.	Minerals and Metal Trading Corporation Ltd. (MMTC)	Other Interests	1
6.	Indian Oil Corporation Ltd. (IOC)	Other Interests	1
Total:			6

3. In pursuance of the sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 2nd February, 1998 as the period within which the election of Trustees shall be held.

4. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1998.

[F. No. PT-18011/5/97-PT (ii)]

K. V. RAO, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1998

सा.का.नि. 14(अ).—केन्द्र सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 § 1963 का 38§ की धारा 3 की उपधारा § 1§ के खंड § ग§ के उपखंड § 1§ के अनुसरण में तथा भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय § पत्तन पक्ष§ की दिनांक 22. 1. 1996 की अधिसूचना सं० सा. का. नि. 56§अ. § का अधिक्रमण करते हुए एतद्द्वारा नीचे दी गई तालिका के कालम § 2§ में उल्लिखित उन व्यक्तियों की संख्या निर्दिष्ट करती है जिन्हें कांडला पत्तन के न्यासी मंडल में उक्त तालिका के कालम § 1§ में उल्लिखित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है ।

तालिका

प्रतिनिधित्व किये जाने वाले हित	नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
पत्तन में नियुक्त श्रमिक	2
सीमा शुल्क विभाग	1
भारतीय रेल	1
गुजरात सरकार	1
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	1
रक्षा सेवार्ड § नौसेना§	1
अन्य हित	4
	योग : 11

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1998 से लागू होगी ।

[फा. सं. पी टी-18011/6/97-पी टी (i)]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 1998

G.S.R. 14(E).— In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No.56(E) dated 22nd January, 1996, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be appointed by that Government to represent the interests mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Kandla.

T A B L E

Interests to be represented	Number of persons to be appointed.
(1)	(2)
Labour employed in the Port	2
Department of Customs	1
Defences Services (Navy)	1
Indian Railways	1
Government of Gujarat	1
Ministry of Surface Transport	1
Other Interests	4
TOTAL :	11

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1998.

[F. No. PT-18011/6/97-PT (i)]
K. V. RAO, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1998

सा.का.नि. 15 (अ).— केन्द्र सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 § 1963 का 38§ की धारा 3 की उपधारा § 1§ के खंड § ग§ के उपखंड § i§ के प्रावधान के अनुसरण में तथा भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय § पत्तन पक्ष§ की दिनांक 22. 1. 1996 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 57 § अ. § का अधिक्रमण करते हुए एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कालम § 4§ में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या जो उक्त तालिका के कालम § 2§ और § 3§ में दर्शाए गये हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक निकाय द्वारा कांडला पत्तन के न्यासी मंडल में चुने जाएंगे, निर्दिष्ट करती है ।

2. बरतें कि उक्त तालिका के क्रम संख्या 5 और 6 के सामने उल्लिखित निकाय पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण होने के मामले में, ऐसे निकाय द्वारा चुने गये व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

तालिका

क्रम सं०	निकाय का नाम	हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1.	2.	3.	4.
1.	भारतीय राष्ट्रीय पोत मालिक संघ §आई एन एस ए§	पोत मालिक	1
2.	गुजरात चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री	नौभार परेषक	1
3.	पंजाब-हरियाणा-दिल्ली चेम्बर ऑफ कामर्स इंडस्ट्री	नौभार परेषक	1
4.	गांधी धाम चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री	नौभार परेषक	1
5.	भारतीय तेल निगम लि० §आई ओ सी§	अन्य हित	1
6.	राज्य व्यापार निगम §एस टी सी§	अन्य हित	1
योग :			6

3. केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा § 4§ के अनुसरण में एतद्वारा 2 फरवरी, 1998 को समाप्त अवधि को उस अवधि के रूप में निर्दिष्ट करती है जिसके दौरान न्यासियों के चुनाव कर लिए जाएंगे ।

4. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1998 से लागू होगी ।

[फा. सं. पी टी-18011/6/97-पी टी (ii)]

कें. पी. राव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 1998

G.S.R. 15(E).— In pursuance of the provisions of sub-clause(ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 57(E) dated 22.1.1996, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (4) of the Table below to be elected by each of the bodies to represent each of the interests shown respectively in column (2) and (3) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Kandla.

2. Provided that in the case of body mentioned against serial number 5 and 6 of the said Table being owned or controlled by the Government, the persons to be elected by such body shall be appointed by the Central Government.

T A B L E

S.No.	Name of bodies	Interest	Number of persons to be appointed.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indian National Shipowners Association. (INSA)	Shipowners	1
2.	Gujarat Chamber of Commerce and Industry.	Shippers	1
3.	Punjab-Haryana-Delhi Chamber of Commerce and Industry.	Shippers	1
4.	Gandhidham Chamber of Commerce and Industry.	Shippers	1
5.	Indian Oil Corporation Ltd. (IOC)	Other Interests	1
6.	State Trading Corporation Ltd. (STC)	Other Interests	1
Total:			6

3. In pursuance of the sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 2nd February, 1998 as the period within which the election of Trustees shall be held.

4. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1998.

[F. No. PT-18011/6/97-PT (ii)]

K. V. RAO, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1998

सा.का.नि. 16 (अ).— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963

§ 1963 का 38§ की धारा 3 की उपधारा § 1§ के खंड § ग§ के उपखंड § 2§ के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय § पत्तन पक्ष§ की अधिसूचना सं० सा. का. नि. 58 § अ. § दिनांक 22. 1. 1996 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई तालिका के कालम § 2§ में उल्लिखित उन व्यक्तियों की संख्या निर्दिष्ट करती है, जिन्हें पारादीप पत्तन के न्यासी मंडल में उक्त तालिका के कालम § 1§ में उल्लिखित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है।

तालिका

प्रतिनिधित्व किये जाने वाले हित

नियुक्त किये जाने वाले

व्यक्तियों की संख्या

§ 1§

§ 2§

पत्तन में नियुक्त श्रमिक

2

सीमा शुल्क विभाग

1

रक्षा मंत्रालय § नौसेना§

1

भारतीय रेल

1

उड़ीसा सरकार

1

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

1

अन्य हित

4

योग :

11

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1998 से लागू होगी।

[फा. सं. पी टी-18011/7/97-पी टी (i)]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 1998

G.S.R. 16(E).— In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. 58(E) dated 22nd January, 1996, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be appointed by that Government to represent the interests mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Paradip.

T A B L E

Interests to be represented	Number of persons to be appointed.
(1)	(2)
Labour employed in the Port	2
Department of Customs	1
Defences Services (Navy)	1
Indian Railways	1
Government of Orissa	1
Ministry of Surface Transport	1
Other Interests	4
TOTAL :	
	11

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1998.

[F. No. PT-18011/7/97-PT (i)]

K. V. RAO, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1998

सा.का.नि. 17(अ).— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 § 1963 का 38 § की धारा 3 की उपधारा § 1 § के खंड § ग § के उपखंड § 2 § के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारत सरकार, जल-मूल परिवहन मंत्रालय § पत्तन पक्ष § की अधिसूचना सं० सा. का. नि. 59 § अ. § दिनांक 22. 1. 1996 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार स्तद्वारा नीचे दी गई तालिका के कालम § 4 § में उल्लिखित व्यक्तियों की उक्त तालिका के

कालम §2§ और §3§ में दर्शाए गए हितों का क्रमशः प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक निकाय द्वारा पारादीप पत्तन के न्यासी मंडल में चुने जाने हेतु विनिर्दिष्ट करती है ।

2. बशर्ते कि उक्त तालिका के क्रम सं० 1, 5 और 6 के सामने उल्लिखित निकाय पर सरकारी स्वामित्व अथवा नियंत्रण होने के मामले में, ऐसे निकाय द्वारा चुने गये व्यक्ति, केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किये जाएंगे ।

तालिका

क्रम सं०	निकाय नाम	हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1.	2.	3.	4.
1.	खनिज एवं धातु व्यापार निगम §एम एम टी सी§	अन्य हित	1
2.	भारतीय राष्ट्रीय पोत मालिक संघ §आई एन एस ए§	जहाज मालिक	1
3.	उड़ीसा व्यापार एवं उद्योग मंडल	नीभार परेषक	1
4.	उत्कल व्यापार एवं उद्योग मंडल	नीभार परेषक	1
5.	तमिलनाडु बिजली बोर्ड§टी एन ई बी§	अन्य हित	1
6.	भारतीय तेल निगम लि०§आई ओ सी§	अन्य हित	1
योग :			6

3. केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा §4§ के अनुसरण में 2.2.1998 को समाप्त अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके दौरान न्यासियों के चुनाव कर लिए जाएंगे ।

4. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1998 से लागू होगी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 1998

G.S.R. 17(E).— In pursuance of the provisions of sub-clause(ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 59(E) dated 22.1.1996, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (4) of the Table below to be elected by each of the bodies to represent each of the interests shown respectively in column (2) and (3) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Paradip.

2. Provided that in the case of body mentioned against serial number 1, 5 and 6 of the said Table being owned or controlled by the Government, the persons to be elected by such body shall be appointed by the Central Government.

T A B L E

S.No.	Name of bodies	Interest	Number of persons to be appointed.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Minerals and Metal Trading Corporation Ltd. (MMTC)	Other Interests	1
2.	Indian National Shipowners Association. (INSA)	Shipowners	1
3.	Orissa Chamber of Commerce and Industry.	Shippers	1
4.	Utkal Chamber of Commerce and Industry.	Shippers	1
5.	Tamil Nadu Electricity Board.(TNEB)	Other Interests	1
6.	Indian Oil Corporation Ltd. (IOC)	Other Interests	1
Total:			6

3. In pursuance of the sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 2nd February, 1998 as the period within which the election of Trustees shall be held.

4. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1998.

[F. No. PT-18011/7/97-PT (ii)]

K. V. RAO, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1998

सा.का.नि. 18 (अ).— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 § 1963 का 38 § की धारा 3 की उपधारा § 1 § के खंड § ग § के उपखंड § 2 § के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय § पत्तन पक्ष § की अधिसूचना सं० सा.का.नि. 60 § अ. § दिनांक 22. 1. 1996 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कालम § 2 § में उल्लिखित उन व्यक्तियों की संख्या निर्दिष्ट करती है, जिन्हें विशाखापत्तनम पत्तन के न्यासी मंडल में उक्त तालिका के कालम § 1 § में उल्लिखित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है।

तालिका

प्रतिनिधित्व किए जाने वाले हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1.	2.
पत्तन में नियुक्त श्रमिक	2
सीमा शुल्क विभाग	1
आंध्र प्रदेश सरकार	1
रक्षा मंत्रालय § नौसेना §	1
भारतीय रेल	1
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	1
अन्य हित	4
	योग :
	11

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1998 से लागू होगी।

[फा. सं. पी टी-18011/8/97-पी टी (i)]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 1998

G.S.R. 18(E).—, in pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. 60(E) dated 22nd January, 1996, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be appointed by that Government to represent the interests mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Visakhapatnam.

T A B L E

Interests to be represented	Number of persons to be appointed.
Labour employed in the Port	2
Department of Customs	1
Defences Services (Navy)	1
Indian Railways	1
Government of Andhra Pradesh	1
Ministry of Surface Transport	1
Other Interests	4
TOTAL :	11

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1998.

[F. No. PT-18011/8/97-PT (I)]

K. V. RAO, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1998

सा.का.नि. 19(अ).— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 § 1963 का 38 § की धारा 3 की उपधारा § 1 § के खंड § ग § के उपखंड § 2 § के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय § पत्तन पक्ष § की अधिसूचना सं० सा. का. नि. 61 § अ. § दिनांक 22. 1. 1996 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार स्तद्वारा नीचे दी गई तालिका के कालम § 4 § में उल्लिखित व्यक्तियों की उक्त तालिका के कालम § 2 § और § 3 § में दर्शाए गए हितों का क्रमशः प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक निकाय द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन को न्यासी मंडल में चुने जाने हेतु विनिर्दिष्ट करती है ।

2. बशर्ते कि उक्त तालिका के क्रम सं० 1, 2 और 3 के सामने उल्लिखित निकाय पर सरकारी स्वाभित्त्व अथवा नियंत्रण होने के मामले में ऐसे निकाय द्वारा चुने गये व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किये जाएंगे ।

तालिका

क्रम सं०	निकाय का नाम	हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, विज्ञान	अन्य हित	1
2.	खनिज एवं धातु व्यापार निगम §एम एम टी सी§	अन्य हित	1
3.	विशाखापत्तनम स्टील प्लांट, विशाखापत्तनम	अन्य हित	1
4.	अग्नि प्रदेश व्यापार एवं उद्योग मंडल परिसंघ, हैदराबाद	नीभार परेषक	1
5.	विशाखापत्तनम व्यापार मंडल, विशाखापत्तनम	नीभार परेषक	1
6.	भारतीय राष्ट्रीय पोत मालिक संघ §आई एन एस ए§	जहाज मालिक	1
योग :			6

3. केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा §4§ के अनुसरण में 2. 2. 1998 को समाप्त अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके दौरान न्यासियों के चुनाव कर लिए जाएंगे ।

4. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1998 से लागू होगी ।

[फा. सं. पी टी-18011/8/97-पी टी (ii)]

के. पी. राव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 1998

G.S.R. 19(E).— In pursuance of the provisions of sub-clause(ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 61(E) dated 22.1.1996, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (4) of the Table below to be elected by each of the bodies to represent each of the interests shown respectively in column (2) and (3) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Visakhapatnam.

2. Provided that in the case of body mentioned against serial number 1, 2 and 3 of the said Table being owned or controlled by the Government, the persons to be elected by such body shall be appointed by the Central Government.

T A B L E

S.No.	Name of bodies	Interest	Number of persons to be appointed.
1.	Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (HPCL)	Other Interests	1
2.	Minerals and Metal Trading Corporation Ltd. (MMTC)	Other Interests	1
3.	Visakhapatnam Steel Plant, Visakhapatnam.	Other Interests	1
4.	Federation of Andhra Pradesh Chamber of Commerce & Industry, Hyderabad.	Shippers	1
5.	Visakhapatnam Chambers of Commerce Visakhapatnam.	Shippers	1
6.	Indian National Shipowners Association. (INSA)	Shipowners	1
Total:			6

3. In pursuance of the sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 2nd February, 1998 as the period within which the election of Trustees shall be held.

4. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1998.

[F. No. PT-18011/8/97-PT (ii)]

K. V. RAO, Jt. Secy.